

अधिकारों के बीज बोना

मानवाधिकारों की नजर से
कृषि व्यापार और डब्ल्यूटीओ

थ्रेड
सीरिज 1

व्यापार,
मानवाधिकार
एवं अर्थव्यवस्था,
विरोध अपडेट्स

अप्रैल 2005

3D थ्रेड
ह्यूमन राइट्स
इक्वीटेबल इकॉनॉमी
और
इंस्टीट्यूट फॉर
एग्रीकल्चर एण्ड ट्रेड
पॉलिसी

इंसाफ द्वारा प्रकाशित

यह दस्तावेज केयरिंग स्मालर द्वारा लिखा गया है। केरॉलीन डोमेन, ब्रेन लिलिस्टन एवं सोफिया मर्फी ने इसका संपादन किया है।

हिन्दी अनुवाद : योगेन्द्र दत्त

© **3D** -> ट्रेड – ह्यूमन राइट्स – इक्विटेबल इकाॅनामी और इंस्टिट्यूट फॉर एग्रीक्लचर एण्ड ट्रेड पॉलिसी।

I. भूमिका

दुनिया के 70 प्रतिशत गरीब ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और अपनी आय, भोजन व आजीविका के साधनों के लिए खेती पर आश्रित हैं।¹ अगर हम दुनिया के ज्यादातर निर्धन और साधनहीन लोगों के हालात में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्निर्माण पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा और कृषि नीतियों को उत्पादन की बजाय लोगों के हितसाधन पर केंद्रित करना होगा।

इस दस्तावेज में वैश्विक कृषि व्यवस्था को मानवाधिकारों के नजरिये से देखने की कोशिश की गई है। इस पर्व में ग्रामीण क्षेत्र, कृषि व्यापार और मानवाधिकारों के क्रियान्वयन के बीच निहित संबंधों की पड़ताल की गई है। इस प्रक्रिया में यह विश्लेषण डब्ल्यूटीओ सहित तमाम महत्वपूर्ण मंचों पर होने वाले नीति-निर्धारण पर हावी कृषि व्यापार उदारीकरण के एजेंडा की सीमाओं को भी उजागर करता है। दस्तावेज में वैश्विक कृषि व्यापार व्यवस्था के बारे में कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिनके जरिए उसे मानवीय आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा जवाबदेह और संवेदनशील बनाया जा सकता है।

मानवाधिकार कानूनों के आधार पर एक ऐसी कृषि व्यवस्था की परिभाषा विकसित की जा सकती है जो सबके लिए मानवाधिकारों का आश्वासन दे सके। वर्तमान परिवेश में मानवाधिकार इस वजह से खासतौर से प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों सहित ज्यादातर देश किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि पर सहमति दे चुके हैं और इस प्रकार मानवाधिकारों के क्रियान्वयन के प्रति संकल्पबद्ध हैं।

1 एफएओ, सम इश्यूज रिलेटिंग टू फूड सिक्योरिटी इन दि कांटेक्ट ऑफ दि डब्ल्यूटीओ निगो. शिएसंस ऑन एग्रीकल्चर, चर्चा पत्र, जिनेवा, जुलाई 2001.

II. ग्रामीण क्षेत्र, खाद्य व्यवस्था एवं व्यापार उदारीकरण

अगर हम अपने लोगों की आजीविका के साधनों में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। दुनिया के तकरीबन 2.5 अरब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और उनकी आजीविका का सबसे अहम साधन खेती ही है।² इनमें से बहुत सारे छोटे पैमाने के किसान हैं जो केवल भरण-पोषण के लिए ही पैदावार अर्जित कर पाते हैं। ऐसे किसानों की संख्या भी बहुत बड़ी है जो केवल स्थानीय स्तर पर उपभोग के लिए पैदा करते हैं। इस तरह खेती न केवल खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उपभोग के लिहाज से केंद्रीय महत्व की गतिविधि है बल्कि संस्कृति और परंपरा सहित आजीविका के बृहत्तर तत्वों की हिफाजत के लिहाज से भी बहुत अहम है। जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में सक्रिय है वहां कृषि क्षेत्र का विकास नए रोजगार पैदा करने और गरीबी में कमी लाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इस रास्ते पर चलते हुए स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के स्तर में भी काफी सुधार लाया जा सकता है।

बॉक्स 1 : खेती में सक्रिय आबादी का प्रतिशत

विकासशील देश

नेपाल	93 प्रतिशत
बुर्कीना फासो	92 प्रतिशत
रवांडा	90 प्रतिशत
तंजानिया	80 प्रतिशत
चीन	70 प्रतिशत
नाइजर	88 प्रतिशत
भारत	60 प्रतिशत
बंगलादेश	60 प्रतिशत
पाकिस्तान	53 प्रतिशत
थाईलैंड	52 प्रतिशत

ओईसीडी देश

जापान	5.3 प्रतिशत
आस्ट्रेलिया	4.8 प्रतिशत
अमेरिका	2.7 प्रतिशत
ग्रेट ब्रिटेन	1.7 प्रतिशत

स्रोत : ओईसीडी, 1998 तथा एफएओ, 1999

2. बल वली, 2003 फूड, इंक. - कॉरपोरेट कंसल्टेशन फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर, यूके फूड ग्रुप, 2003. <www.ukfg.org.uk>

बॉक्स 2 : डम्पिंग की वजह से परेशान भारतीय डेयरी उद्योग

भारतीय डेयरी उद्योग यूरोपीय संघ के सब्सिडीयुक्त निर्यातों की मार से परेशान है। 1999-2000 में भारत ने यूरोपीय संघ से 1,30,000 टन रिकमंड मिल्क पाउडर का आयात किया था। यह यूरोपीय उत्पादकों को दी गई 50,00,000 यूरो की निर्यात सब्सिडियों का नतीजा था। मक्खन के निर्यात पर यूरोपीय संघ द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी बहुत ऊंची रही है। फलस्वरूप, भारत में मक्खन तेल का आयात 7.7 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ता जा रहा है। इस घटनाक्रम से घरेलू बाजार में घी की कीमतों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत दुनिया भर में दुध का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बावजूद उसे दूध का आयात करना पड़ता है। और भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अब बहुत सारे भारतीय कृषि उत्पादों की उपज वृद्धि दर गिरती दिखाई देने लगी है जिससे देश की आबादी के एक बड़े हिस्से पर बहुत बुरे असर पड़ सकते हैं।

देविंदर शर्मा, डब्ल्यूटीओ एण्ड एग्रीकल्चर : दि ग्रेट ट्रेड रॉबरी, 2003.

भारत में चुनिंदा फसलों की वार्षिक वृद्धि दर, 1980-2000

भारत सरकार (2002), देविंदर शर्मा, डब्ल्यूटीओ एण्ड एग्रीकल्चर : दि ग्रेट ट्रेड रॉबरी, 2003 में उद्धृत।

फसल	उत्पादन स्तर (1980-81 से 1989-90)	उत्पादन स्तर (1990-91 से 2000-01)
चावल	3.62	1.79
गेहूं	3.57	3.04
मोटे अनाज	0.40	0.06
दालें	1.52	-0.58
खाद्यान्न	2.85	1.66
गैर-खाद्यान्न	3.77	1.86
तिलहन	5.20	0.66
गन्ना	2.70	2.62
कपास	2.80	0.92
सभी फसलें	3.19	1.73

इसके बावजूद मौजूदा कृषि नीतियां मोटे तौर पर खाद्य उत्पादकों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय उत्पादन और व्यापार में ज्यादा से ज्यादा इजाफे के लक्ष्य को समर्पित हैं। ये नीतियां कृषि क्षेत्र के उदारीकरण के मकसद से लागू की जा रही हैं। इन नीतियों को अस्सी के दशक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंक के ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों (एसएपी) के तहत शुरू किया गया था। उदारीकरण की जिन नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है उनमें कृषि बाजारों में राज्य की भूमिका को अधिक से अधिक सीमित करने की कोशिश भी शामिल है। मिसाल के तौर पर, इन नीतियों के तहत कृषि क्षेत्र को मिलने वाली राजकीय सहायता में कटौती और कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना काफी महत्वपूर्ण रहा है।

बॉक्स 3 : उदारीकरण – जाम्बिया की स्थिति

जाम्बिया में मक्का के उदारीकरण के बाद उत्पादक मूल्यों में गिरावट आ गई और उपभोक्ता मूल्यों में इजाफा होने लगा। नतीजा यह हुआ कि 1990-91 से 1996-97 के बीच मक्का का उपभोग 20 प्रतिशत गिर गया। इस गिरावट की वजह से मानवा. धिकारों पर पड़े विपरीत प्रभावों के बारे में कई अध्ययन किए जा चुके हैं। इन अध्ययनों के मुताबिक मक्का के उपभोग में गिरावट की वजह से देश भर में कुपोषण और मृत्यु दर में इजाफा हुआ है। गरीबी के कारण स्वास्थ्य संकेतक कमजोर पड़ने लगे और बहुत कम परिवार ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने की स्थिति में रह गए हैं। इस घटनाक्रम से लड़कियों को भी काफी नुकसान हुआ है क्योंकि जब पारिवारिक श्रम को शिक्षा के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगता है तो सबसे पहली कुर्बानी लड़कियों को ही देनी पड़ती है।

1998 में हालात की समीक्षा करते हुए आईएमएफ ने कहा था, “लंबे दौर में [उदारीकरण] से आबंटन संबंधी कार्यकुशलता में सुधार आएगा और फलस्वरूप आय भी बढ़ेगी मगर तात्कालिक स्तर पर यह खाद्य उपभोग के स्तर को कम कर देगा।”

स्रोत : सेली-एने वे, श्री डी – श्री वर्कशॉप ऑन इंटीग्रेटिंग ह्यूमन राइट्स इनटू डि फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, नवंबर 2004 में पढ़ा गया पर्चा, यह रिपोर्ट <www.3dthree.org/èenèpages.php?IDcat=5> पर उपलब्ध है।

उदारीकरण के हिमायतियों का दावा है कि इससे कार्यकुशलता बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्र के कल्याण में मदद मिलती है। इसमें कोई शक नहीं कि उदारीकरण की वजह से कृषि उत्पादन में भारी इजाफा हुआ है और कृषि उत्पादों के व्यापार में भी कल्पनातीत वृद्धि हुई है। उदारीकरण के बाद बड़े किसान सरकारी सहायता के बिना भी अपना काम चला सकते हैं। मगर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि उदारीकरण में जहां एक तरफ कृषि व्यवसाय फलता-फूलता है वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे और मझौले किसान तबाह भी हो जाते हैं।

कृषि वस्तुओं के आयात से स्थानीय उत्पादन की कमियों को दूर करने में मदद मिलती है, आहार के विषय में विकल्प बढ़ जाते हैं और पोषक पदार्थों का एक वैकल्पिक स्रोत हासिल होता है। स्थानीय उपज के निर्यात से उत्पादकों को नए बाजार और रोजगार व आय के नए अवसर मिलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बढ़ते व्यापार की वजह से पैदा होने वाले नए अवसरों से सबको फायदा नहीं होता। इस बदलाव के बाद ज्यादातर जगह छोटे पैमाने के किसानों और खेतिहर मजदूरों की हालत और खराब हुई है। यह एक कड़वी हकीकत है कि व्यापार में इजाफे या उसके उदारीकरण से गरीबी में स्वाभाविक गिरावट नहीं आती। इसके कई कारण हैं।

- पहला, ज्यादातर भोजन स्थानीय उपभोग के लिए पैदा किया जाता है। उसमें से एक बहुत छोटे हिस्से – तकरीबन 10 प्रतिशत – का ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। हालांकि निर्यात बाजार कुछ उत्पादकों को व्यापार का एक उपयोगी दूसरा रास्ता मुहैया करा देते हैं और कॉफी उत्पादक आदि कुछ किसानों के लिए तो वही आय का सबसे बुनियादी जरिया होते हैं मगर असंख्य छोटे किसानों को इस बाजार से कोई फायदा नहीं होता। ये किसान अपने उत्पादों को स्थानीय स्तर पर ही बेचते हैं। इसका मतलब है कि निर्यात बाजार मुट्ठी भर बड़े किसानों की पहुंच तक ही सीमित है।

- दूसरा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संपन्न देशों को निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को वहां आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा। विकसित देशों के बाजारों में विकासशील देशों के उत्पादों की स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर करती है कि निर्यात करने वाले उत्पादक फूड सेफ्टी या पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में निश्चित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कर पाते हैं या नहीं। बहुत सारे विक. विकासशील देशों में इन मानकों पर खरा उतरने के लिए जरूरी क्षमता और बुनियादी ढांचा नहीं है। वैसे भी ये मानक विकासशील देशों के हिसाब से बहुत ऊंचे हैं और उनकी वजह से इन देशों का निर्यात कुंद होता है।
- तीसरा, उदारीकरण का एक मतलब यह है कि घरेलू बाजारों में आयातित सामानों की संख्या व मात्रा और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में विकासशील देशों की खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे आयातित खाद्य पदार्थ स्थानीय उत्पादन को हाशिए पर धकेल देते हैं। आयात के ऊंचे स्तर से सबसे ज्यादा नुकसान तब पहुंचता है जब विकसित देश कृत्रिम ढंग से उत्पादन का ऊंचा स्तर बनाए रखते हैं और अधिशेष मात्रा को उत्पादन की मात्रा से भी कम कीमत पर दूसरे देशों में बेचने लगते हैं। इसे "डम्पिंग" कहा जाता है।³ डम्पिंग के लिए या तो सरकार अपने निर्यातकों को सीधे भुगतान करती है (निर्यात सब्सिडी) या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकों को सब्सिडी देती है क्योंकि वह बाजार पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल करके किसानों को अदा की जाने वाली कीमत कम कर सकते हैं और इस तरह अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं।
- मिसाल के तौर पर, 2003 में अमेरिकी गेहूं को विदेशों में उत्पादन लागत से 28 प्रतिशत कम कीमत पर बेचा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी कपास को तो लागत से 47 प्रतिशत कम कीमत पर बेचा गया।⁴

3. डम्पिंग की कई परिभाषाएं हैं। हम उस परिभाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उत्पादन की लागतों और विक्रय मूल्य के बीच तुलना की जाती है। डब्ल्यूटीओ के मंच पर इस्तेमाल होने वाली सबसे आम परिभाषा यह है जिसमें घरेलू विक्रय मूल्यों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ की जाती है।

बॉक्स 4 : अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि (मुख्य अंश)

सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र (यूडीएचआर) में कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा सुविधाओं सहित अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम के अनुरूप एक मानक जीवनस्तर सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है" (अनुच्छेद 25)।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि (आईसीसीपीआर) में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि "किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को आजीविका के साधनों से वंचित नहीं किया जाएगा" (धारा 1 और 6)।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संधि (आईसीईएससीआर) में सभी व्यक्तियों को जीवन, आवास, रोजगार, भोजन और स्वास्थ्य के पर्याप्त स्तर का आश्वासन दिया गया है (धारा 6, 11 और 12)।

बाल अधिकार संधि (सीआरसी) में इस बात को मान्यता दी गई है कि पर्याप्त जीवन स्तर प्रत्येक बच्चे का अधिकार है तथा कुपोषण पर अंकुश लगाना सरकार का अविभाज्य दायित्व है (धारा 24 और 27)।

महिला विरोधी भेदभाव उन्मूलन संधि (सीईडीएडब्ल्यू) में आग्रह किया गया है कि सदस्य देश महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। उन्हें विकास संबंधी नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाए और पर्याप्त जीवन परिस्थितियां एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं (धारा 3 और 14)।

- चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार से बहुत कम लोगों को ही फायदा होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर मुट्टी भर कंपनियों का ही दबदबा बना हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि 1986 में वैश्विक कृषि व्यापार का 85–90 प्रतिशत केवल 5 कंपनियों के नियंत्रण में था।⁴ आज दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत अनाज व्यापार पर कारगिल और आर्चर डेनियल्स मिडलैंड (एडीएम) – इन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण है। कुछ ऐसा ही हाल कॉफी के क्षेत्र में भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने

4. देखें, इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एण्ड ट्रेड पॉलिसी (आईएटीपी), यूनाइटेड स्टेट्स डेवेलपिंग ऑन वर्ल्ड एग्रीकल्चरल मार्केट्स, 2004 www.iatp.org

5. हालांकि अब संयुक्त राष्ट्र के पास इस बारे में नजर रखने का अधिकार नहीं है मगर विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि यह संख्या आज भी कर्मोबेश वही होगी। निक बटलर, दि इंटरनेशनल ग्रेन ट्रेड : प्रॉब्लम्स एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स, न्यूयार्क : सेंट मार्टिनस प्रैस, 1986

वाली 50 प्रतिशत कॉफी छोटे पैमाने के किसानों की देन है मगर वैश्विक कॉफी व्यापार के 40 प्रतिशत हिस्से पर केवल चार कंपनियों का कब्जा है।⁶ उस समय हालात और खराब हो जाते हैं जब इनमें से बहुत सारी कंपनियां, खासतौर से अमेरिका की कंपनियां अरबों डॉलर की सब्सिडी के सहारे वैश्विक कृषि बाजारों में अपने हिस्से को बढ़ाती चली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ज्यादातर व्यापारिक एवं प्रसंस्करण कंपनियां विकसित देशों की हैं। उनके पास उत्पादन, प्रसंस्करण, यातायात और व्यापारिक प्रक्रियाओं में निवेश करने के लिए काफी संसाधन मौजूद हैं। जाहिर है यह स्थिति छोटे पैमाने के उत्पादकों के मुकाबले उन्हें काफी मजबूत बना देती है।

ग्रामीण क्षेत्र में मानवाधिकारों को साकार करने और आजीविका में सुधार लाने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि मुनाफा केंद्रित नजरिये की बजाय जनकेंद्रित नजरिये से नीतियां बनाई जाएं। मानवाधिकारों का फ्रेमवर्क हमें जनकेंद्रित नीतियां विकसित करने में मदद दे सकता है।

III. मानवाधिकार फ्रेमवर्क

मानवाधिकारों का सिद्धांत दुनिया के सभी देशों पर लागू माना जाता है। इनमें से कुछ नियम और कानून विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानूनों में भी शामिल किए जा चुके हैं जबकि बाकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में जगह पा चुके हैं। दुनिया के तमाम देश इनमें से किसी न किसी एक संधि पर अपनी मंजूरी दे चुके हैं। इन संधियों में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि (आईसीसीपीआर), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संधि

6. बल बर्ली, 2003 फूड, इंक. - कॉरपोरेट कंसंट्रेशन फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर, यूके फूड ग्रुप, 2003. <www.ukfg.org.uk>

(आईसीईएससीआर) तथा बाल अधिकार संधि (सीआरसी) प्रमुख हैं।⁷ खेती से संबंधित मानवाधिकारों की पुष्टि करने वाले कुछ अन्य हालिया अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स (सहस्राब्दि विकास लक्ष्य) भी शामिल हैं जिसके जरिए दुनिया के सारे देशों ने गरीबी, भूख और बीमारियों का मुकाबला करने के प्रति अपने संकल्प को एक बार फिर दोहराया है।⁸ 2004 में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के 188 सदस्य देशों ने भोजन के अधिकार को साकार करने के बारे में स्वैच्छिक दिशानिर्देशों को अंगीकार किया था।⁹

कृषि व्यापार नीति से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अधिकार प्रभावित होते हैं। इनमें जीवन, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोजगार का अधिकार तथा भेदभाव से आजादी का अधिकार शामिल हैं। मानवाधिकार कानूनों में सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि वह मानवाधिकारों का सम्मान व सुरक्षा करें और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। मिसाल के तौर पर, भोजन के अधिकार के सिलसिले में “सम्मान करने” के दायित्व का आशय इस बात से है कि सरकार ऐसा कोई कदम न उठाए जो आम लोगों को भोजन तक पहुंच से वंचित करता हो। “सुरक्षा प्रदान करने” के दायित्व का अर्थ यह है कि सरकार शक्तिशाली लोगों और कंपनियों सहित सभी तृतीय पक्षों को रोकने के लिए उचित कानून बनाएगी जिससे वह लोगों को भोजन से वंचित न कर

7. संयुक्त राष्ट्र (यूएन), इंटरनेशनल कोवेंनेंट ऑन सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट्स, 1966, इंटरनेशनल कोवेंनेंट ऑन इकॉनॉमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स, 1966, कनवेंशन ऑन दि राइट्स ऑफ दि वाइल्ड 1989. इन संधियों तथा अन्य संधियों के पूरे पाठ के लिए तथा इन संधियों को स्वीकृति देने वाले देशों की सूची के बारे में जानने के लिए देखें <www.ohchr.org/english/law/index.htm>

8. संयुक्त राष्ट्र, मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स, 2000 <www.un.org/millenniumgoals>

9. एफएओ, वॉलंटरी गाइडलाइंस टू सपोर्ट दि प्रोग्रेसिव रिप्लाइजेशन ऑफ दि राइट टू एडिक्वेट फूड इन दि कॉटेक्स्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरटी, 2004 <www.fao.org/righttofood>

सकें। और अंत में, अधिकारों को “पूरा करने” का अर्थ यह है कि सरकार समाज के कमजोर तबकों की शिनाख्त करे और ऐसी नीतियां लागू करे जिनके जरिए उन तबकों के लोगों को भोजन तक पर्याप्त पहुंच हासिल हो जाए। अंतिम विकल्प के रूप में सरकार उन लोगों को पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध करा सकती है जो अपने स्तर पर खुद भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र भोजन अधिकार विशेष प्रतिनिधि ने उल्लेख किया है, यह बुनियादी महत्व की बात है कि भोजन के अधिकार के क्रियान्वयन की सभी प्रक्रियाओं में सभी की सहभागिता, उत्तरदायित्व और पहुंच सुनिश्चित कराई जाए।¹⁰

जीवन के अधिकार जैसे कुछ अधिकारों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। भोजन और स्वास्थ्य जैसे अधिकारों को क्रमिक ढंग से साकार किया जा सकता है। क्रमिक ढंग से साकार करने का मतलब यह है कि सरकार इन अधिकारों को अमली जामा पहनाने के लिए अधिक से अधिक तेजी के साथ कदम उठाएगी। इस मकसद को हासिल करने के लिए सरकार “अधिकतम उपलब्ध संसाधनों” का समुचित प्रयोग कर सकती है। “उपलब्ध संसाधनों” का आशय राज्य के भीतर उपलब्ध संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहायता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों से है।¹¹ मानवाधिकारों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई दायित्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए, सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नीतियां दूसरे देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न डाल सकें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियां या फैसले

10. देखें, संयुक्त राष्ट्र, रिपोर्ट सबमिटेड बाई दि स्पेशल रेपर्टियर ऑन दि राइट टू फूड टू दि जनरल असेंबली, ए/59/385, 2004.

11. संयुक्त राष्ट्र, कमेटी ऑन इकॉनॉमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स, जेनरल कमेंट नं. 3 (1990), दि नेचर ऑफ स्टेट्स पार्टिज ऑब्लिगेशंस <www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm>

मानवाधिकारों के अनुरूप हों, जिनसे वह जुड़े हुए हैं। मानवाधिकारों से संबंधित मानक अपने क्रियान्वयन की विविध प्रक्रियाओं के साथ सामने आते हैं। फलस्वरूप इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में लोग या तो न्यायालय का सहारा ले सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय शिकायत निपटारा व्यवस्था में अपील कर सकते हैं।

मानवाधिकारों का फ्रेमवर्क आर्थिक एवं व्यापार नीतियों के निर्धारण में काफी मददगार उपकरण साबित होता है। मानवाधिकारों के नजरिए से समाज के कमजोर सदस्यों की जरूरतों और भेदभाव की रोकथाम पर विशेष जोर नीति निर्धारण में एक जनकेंद्रित नजरिया मुहैया कराता है। इसके अलावा सदस्य सरकारों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह मानवाधिकारों को साकार करने के लिए कम से कम नीतिगत स्तर पर उचित कदम जरूर उठाएंगी। इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी किसी भी प्रस्तावित नीति को गरीबों और कमजोर तबकों की स्थिति में सुधार की संभावना के आधार पर ही आंकना चाहिए। यानी मानवाधिकारों का फ्रेमवर्क इस नजरिये की पुष्टि करता है कि व्यापार नीतियों के संभावित प्रभावों का बाकायदा आकलन किया जाना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे जनहित कार्यकर्ता एवं विकास विशेषज्ञ बार-बार आवाज उठाते रहे हैं। मानवाधिकारों के क्रियान्वयन और देखदेख की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कुछ जनसंगठनों, राज्यों या व्यक्तियों को सौंपी जा सकती है जिसके आधार पर मानवाधिकारों के प्रोत्साहन या संरक्षण में घरेलू प्रक्रियाओं की विफलता के लिए संबंधित आर्थिक शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

IV. डब्ल्यूटीओ और कृषि व्यापार उदारीकरण

डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते (एओए) को 1995 में पारित किया गया

था।¹² इस समझौते में कृषि व्यापार संबंधी नीति निर्धारण के बारे में जनकेंद्रित दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। उसमें उदार, निर्यातानुमुखी कृषि व्यापार नीतियों का ही वर्चस्व है जिनसे बड़े पैमाने के उत्पादकों और खाद्य व्यापारियों को ही मुनाफा होता है। इसके बावजूद, एओए में ऐसे कई प्रावधान हैं जो डब्ल्यूटीओ सदस्यों को एक निष्पक्ष और जनकेंद्रित कृषि व्यापार व्यवस्था शुरू करने की छूट देते हैं। मगर ये ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें न तो अब तक पूरी तरह परिभाषित किया गया है और न ही जिनका पूरी तरह इस्तेमाल हुआ है।

प्रस्तुत विश्लेषण एओए पर ही केंद्रित है। परंतु यहां हमने एओए को आईएमएफ एवं विश्व बैंक की नीतियों, और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों जैसे कई अन्य कारकों के साथ मिलाकर देखने की कोशिश की है। ये सभी संस्थान और संधियां उदारीकरण को बढ़ावा देने और लोगों के अधिकारों पर हमले के व्यापक एजेंडा का हिस्सा हैं।

1. कृषि समझौता – मुख्य दायित्व

डब्ल्यूटीओ को जन्म देने वाले मराकेश समझौते के मुताबिक इस संस्था का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों का जीवनस्तर ऊपर उठाना, पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना और लोगों की आय में सुधार लाना है।¹³ डब्ल्यूटीओ के हिस्से के तौर पर एओए का मकसद भी “एक निष्पक्ष और बाजारानुमुखी कृषि व्यापार व्यवस्था की स्थापना” के जरिए डब्ल्यूटीओ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ही है।¹⁴ एओए का

12. एओए के पाठ के लिए तथा डब्ल्यूटीओ वार्ताओं एवं कृषि संबंधी विवादों को जानने के लिए देखें डब्ल्यूटीओ वेबसाइट पर कृषि संबंधी खण्ड

<www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agric_e.htm>. मानवाधिकारों के नजरिये से देखें 3D/FORUM-ASIA, प्रेक्टिकल गाइड टू दि डब्ल्यूटीओ, 2004. <www.3dthree.org/en/complement.php?IDcomplement=36&IDcat=4&IDpage=14>

13. डब्ल्यूटीओ, मराकेश एग्रीमेंट एस्टेबलिशिंग दि डब्ल्यूटीओ – प्रिम्बल

14. डब्ल्यूटीओ, एग्रीमेंट ऑन एग्रीक्चर – प्रिम्बल

ढांचा बाजार पहुंच, घरेलू सहायता और निर्यात सब्सिडी, इन तीन “स्तंभों” के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

- बाजार पहुंच : एओए का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की वजह से खड़ी की गई रुकावटों को कम करके कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके लिए विभिन्न करों और ड्यूटीज़ में कटौती का रास्ता अपनाया जाता है। इन शुल्कों को आमतौर पर सीमाशुल्क (tariffs) के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ के अंतर्गत सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बाजार में आने वाले कृषि उत्पादों की मात्रा पर किसी तरह की रुकावट नहीं लगाएंगे। इन रुकावटों को “मात्रात्मक प्रतिबंध” कहा जाता है। एओए से पहले चली वार्ताओं के दौरान स्वास्थ्य मानक और पैकेजिंग अर्हता जैसे सभी “गैर-सीमा शुल्क” अवरोधों को सीमा शुल्कों की श्रेणी में रूपांतरित करने का प्रावधान किया गया था। इस प्रक्रिया को (tariffication) कहा जाता है।
- घरेलू सहायता : एओए में किसानों को मिलने वाली किसी भी तरह की सहायता को घरेलू सहायता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस सहायता में कुछ निश्चित उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी या गारंटीशुदा कीमतों से लेकर कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सुविधाओं तक कई तरह की चीजें आ जाती हैं। विकसित देश घरेलू सहायता मुहैया कराने के मामले में सबसे आगे रहे हैं। ये देश अपने किसानों को हर साल अरबों डॉलर की मदद देते हैं। एओए के घरेलू सहायता संबंधी प्रावधानों का घोषित उद्देश्य कृषि वस्तुओं के उत्पादन पर खर्च होने वाले पैसे की मात्रा में ज्यादा से ज्यादा कमी लाना यानी ऐसी सब्सिडियों में कमी लाना है जो इस बारे में किसानों के फैसले को प्रभावित करते हैं कि उन्हें क्या और कितनी मात्रा में पैदा करना चाहिए। कृषि समझौते में घरेलू सहायता को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन्हें तीन तथाकथित “बॉक्स” में समाहित किया गया है। ये तीनों

श्रेणियां डब्ल्यूटीओ की अलग-अलग शर्तों से बंधी हुई हैं।

एम्बर बॉक्स सब्सिडियां व्यापार को सबसे ज्यादा विकृत करने वाली सब्सिडियां मानी जाती हैं। इन सब्सिडियों या रियायतों की मात्रा को "सकल सहायता स्तर" (एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट – एएमएस) के आधार पर मापा जाता है। एएमएस के जरिए उन सभी आर्थिक पहलुओं की गणना की जाती है जो एक खास उत्पाद के बारे में किसानों के फैसले को प्रभावित करते हैं। कृषि समझौते में डब्ल्यूटीओ के औद्योगिक सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी एम्बर बॉक्स सब्सिडियों में 2003 तक 21 प्रतिशत कटौती करेंगे जबकि विकासशील देशों से 2005 तक 13.3 प्रतिशत कटौती की अपेक्षा व्यक्त की गई है।

ब्ल्यू बॉक्स सब्सिडियों पर कुछ रियायत दी गई है। ये ऐसी सब्सिडियां हैं जिनका कोई सरकारें किसानों को सीधे भुगतान करती हैं बशर्ते यह भुगतान उत्पादन की मात्रा को सीमित करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों से संबंधित हो। इन सब्सिडियों में कटौती की कोई बाध्यता नहीं है और उन्हें बढ़ाया भी जा सकता है।

ग्रीन बॉक्स सब्सिडी उत्पादन स्तर को प्रभावित नहीं करती। इस बॉक्स की सब्सिडियों में पर्यावरणीय कार्यक्रमों, खरपतवार एवं रोग नियंत्रण, अवरचनागत विकास और घरेलू खाद्य सहायता से संबंधित भुगतान आते हैं। इस बॉक्स में उत्पादकों को किया जाने वाला वह प्रत्यक्ष भुगतान भी आता है जो वर्तमान उत्पादन एवं कीमतों से संबंधित नहीं है। इन भुगतानों को "विच्छिन्न भुगतान" (decoupled payments) कहा जाता है। डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडियों में कटौती की कोई जरूरत नहीं है और उनमें इजाफा भी किया जा सकता है।

- निर्यात सब्सिडी : इस मद में सरकार कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली कंपनियों या प्रतिष्ठानों को कारोबार की कुछ लागत की भरपाई के तौर पर सीधे भुगतान करती है। एओए में निर्यात सब्सिडियों की एक पूरी सूची दी गई है। इस सूची में उल्लिखित सब्सिडियों को कम करना और इस तरह की नई सब्सिडियों का निषेध करना आवश्यक माना जाता है।

2. कृषि समझौता — जनकेंद्रित प्रावधान?

कृषि समझौते में ऐसे कई प्रावधान हैं जो कुछ खास देशों या देश के कुछ खास तबकों को उदारीकरण के हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं। गैर-व्यापार चिंताएं, विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार, विशेष सुरक्षा (एसएसजी) तथा सकल खाद्य आयातक विकासशील देशों के बारे में मराकेश फैसला आदि प्रावधान इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि इन प्रावधानों को इस प्रकार लागू नहीं किया गया है जिससे आजीविका और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके मगर ये प्रावधान उन व्यापार नियमों की मौजूदा संरचना में कुछ ऐसे रास्ते जरूर मुहैया कराते हैं जिनके जरिए डब्ल्यूटीओ के सदस्य मानवाधिकारों के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं।

- कृषि समझौते की प्रस्तावना में कहा गया है कि इस समझौते को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता सहित "गैर-व्यापार चिंताओं" को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। मगर व्यवहार के धरातल पर गैर-व्यापार चिंताओं का क्या अर्थ होता है, कृषि समझौते में उन्हें कैसे लागू किया जाना चाहिए या उनके मानवाधिकारों से संबंधित आयाम कौन से हैं — इस बारे में डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने

- पर्याप्त विचार-विमर्श या क्रियान्वयन नहीं किया है।
- विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार (एसडीटी) एओए सहित सभी डब्ल्यूटीओ समझौतों का एक अहम तत्व है। एसडीटी का मकसद ये है कि विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ नियमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा रियायतें दी जाएं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में ये देश लाभदायक स्थिति में नहीं हैं। मसलन, कृषि समझौते में विकासशील देशों को यह छूट दी गई है कि वह अपने अल्प आय किसानों को घरेलू सहायता दे सकते हैं जिससे ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिले। दोहा, कतर में 2001 में आयोजित किए गए चौथे डब्ल्यूटीओ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भी सदस्य देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि : “विकासशील देशों के लिए एसडीटी सभी वार्ताओं (...) का एक अभिन्न अंग होगा जिससे इन प्रावधानों को व्यावहारिक स्तर पर प्रभावी बनाया जा सके और विकासशील देश खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास सहित अपनी सभी विकास संबंधी जरूरतों का ध्यान रख सके।”¹⁵ विकसित देश एसडीटी के विषय में अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में बार-बार विफल हो चुके हैं। वह डब्ल्यूटीओ समझौतों में निहित ऐसे तमाम प्रावधानों को ठेस पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फलस्वरूप, जो व्यवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं वह जल्दी ही काफी कमजोर हो जाती हैं। विकसित देश अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए ज्यादा लंबी अवधि मनवा लेते हैं और तुलनात्मक रूप से काफी कम प्रतिबद्धताओं को लागू करते हैं। हाल के सालों में डब्ल्यूटीओ में शामिल होने वाले विकासशील देशों को तो एसडीटी का बहुत सीमित लाभ ही दिया जा रहा है।
 - विशेष सुरक्षा (एसएसजी) व्यवस्था उन देशों के लिए

15. डब्ल्यूटीओ, दोहा मिनिस्टिरियल डिक्लेरेशन – पैराग्राफ 15.

उपलब्ध है जो आयात की अचानक बाढ़ या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अनपेक्षित गिरावट के समय घरेलू किसानों को तात्कालिक स्तर पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए **tariffication** की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि यह घरेलू बाजारों को कुछ हद तक डम्पिंग से बचा सकती है हालांकि निरंतर डम्पिंग के सामने यह व्यवस्था भी निस्सहाय दिखाई देती है। एसएसजी की एक बड़ी खामी यह है कि यह व्यवस्था केवल 21 विकासशील देशों के लिए ही उपलब्ध है। बहुत सारे विकासशील देशों में विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम गैर-सीमा शुल्क बाधाएं विद्यमान रही हैं इसलिए वह जंतपिपिबंजपवद की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं और फलस्वरूप इस व्यवस्था का लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं।

- न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) और सकल खाद्य आयातक विकासशील देशों (एनएफआईडीसी) की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान। एओए को अंतिम रूप प्रदान करने वाले अधिकारियों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि यह समझौता एलडीसी और एनएफआईडीसी श्रेणी के देशों को फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए उन्होंने 1994 में न्यूनतम विकसित एवं सकल खाद्य आयातक विकासशील देशों पर सुधार कार्यक्रम से पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में मराकेश फैसला भी डब्ल्यूटीओ समझौते के अंतर्गत ही पारित कर दिया था। इस फैसले में व्यवस्था दी गई थी कि अगर कृषि समझौते के क्रियान्वयन के बाद एलडीसी और एनएफआईडीसी श्रेणी के देश खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत या खाद्य सहायता में गिरावट की वजह से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तो उन्हें हर्जाना दिया जा सकता है। इस बात को कई अध्ययनों में दर्ज किया जा चुका है कि कृषि समझौते के लागू होने के बाद एलडीसी और एनएफआईडीसी देश खाद्य पदार्थों को व्यावसायिक शर्तों के आधार पर खरीदने के लिए

बाध्य हो गए हैं जबकि उनकी आय गिरती जा रही है।¹⁶ इसके बावजूद, सदस्य देश इस फैसले को सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं।

V. कृषि समझौता मानवाधिकारों को कैसे प्रभावित करता है?

मानवाधिकारों के नजरिये से देखा जाए तो कृषि समझौते की चार मुख्य विफलताएं रही हैं। पहली, उसकी निर्यातानुखी पद्धति कृषि उत्पादन में सक्रिय लोगों के आजीविका अवसरों और जीवनस्तर में सुधार की बजाय उत्पादन और निर्यात में इजाफे पर ज्यादा जोर देती है। दूसरी, कृषि समझौता बहुराष्ट्रीय उत्पादकों और व्यापारियों की बाजार शक्ति पर अंकुश लगाने में विफल हो चुका है। तीसरी, उचित और पर्याप्त नियमों का अभाव डम्पिंग को वैधता और संस्थागत रूप दे देता है। और चौथी विफलता यह है कि कृषि समझौता विकासशील देशों को एक असमान समीकरण में फंसा देता है।

1. आजीविका की बजाय निर्यात पर जोर

कृषि क्षेत्र के बारे में एओए का नजरिया व्यापार उदारीकरण की विचारधारा पर आधारित है। यह समझौता मानवाधिकारों की बजाय “निर्यात के अधिकार” पर केंद्रित दिखाई देता है। कृषि समझौते की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है जिससे विश्वव्यापी बाजारों में खुलापन आए और व्यापार की मात्रा में इजाफा हो। यह निर्यातानुखी रवैया लोगों की आजीविका में सुधार का आश्वासन

16. पनोस कोनाड्रियाज एवं अन्य, कंटीन्यूएशंस ऑफ दि रिफॉर्म प्रोसेस इन एग्रीकल्चर : डिवेलपिंग कंट्रीज पर्सपेक्टिव्स, 1998

नहीं देता। यह रवैया संसाधनों, बुनियादी ढांचे, ऋण सुविधाओं और विदेशी बाजारों तक पहुंच रखने वाले मुट्टी भर लोगों को ही फायदा पहुंचाता है।

2. व्यावसायिक नियंत्रण को रोक पाने में विफलता

व्यापार उदारीकरण ने उत्पादकों की ताकत को ठेस पहुंचाते हुए बाजार पर बहुराष्ट्रीय व्यापारियों और प्रसंस्करकों के वर्चस्व को बढ़ावा दिया है। यह समझौता खाद्य व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर मुट्टी भर विशाल कंपनियों की वर्चस्वशाली भूमिका को अनदेखा करते हुए व्यावसायिक सत्ता के सुदृढीकरण में योगदान देता है।

ज्यादा से ज्यादा उत्पादक संसाधनों पर कब्जे और अपनी गतिविधियों को महज उत्पादन की बजाय बाकी गतिविधियों तक फैलाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाती चली जाती हैं। उदाहरण के लिए, कारगिल नामक कंपनी एक विशाल वित्तीय सेवा इकाई और बीज एवं उर्वरक व्यवसाय भी चलाती है। यह कंपनी गाय के मांस का कारोबार करने वाली अमेरिका की तीन सबसे बड़ी कंपनियों से एक है। यह कंपनी दुनिया भर में परिवहन व्यवसाय से भी जुड़ी हुई है। इस तरह की व्यावसायिक पृष्ठभूमि के साथ कारगिल जैसी कंपनियां बिक्री की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने और इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमत कम से कम रखने की कोशिश करती हैं। कारगिल जैसी कंपनियों की बाजार शक्ति मूल उत्पादकों को केवल विक्रेताओं में तब्दील कर देती है और ये विक्रेता चाह कर भी कारगिल द्वारा तय कीमत से ज्यादा कीमत हासिल नहीं कर पाते। इस पूरी शृंखला में किसान सबसे कमजोर कड़ी होते हैं और उन्हें मिलने वाली कीमत साल-दर-साल उनकी उत्पादन लागत से भी कम होती चली जाती है। नतीजा यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते उत्पादों की डम्पिंग होने लगती है और कंपनियों का

मुनाफा बढ़ता जाता है।

यह स्थिति दुनिया भर के किसानों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। वह या तो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं या दो वक्त की रोटी के लिए भी सब्सिडियों पर आश्रित होने लगते हैं।

अगर सरकारें व्यावसायिक निकायों और निगमों के व्यवहार को अनुशासित करने में कामयाब हो जाएं और विशाल कंपनियों को अपनी उपज बेचने वाले किसानों को उपज की बेहतर कीमत दिला दें तो यह स्थिति मानवाधिकारों के लिहाज से चिंता का विषय नहीं रहेगी। मगर बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहतीं।

बॉक्स 5 : किसान –
व्यावसायिक शृंखला की
सबसे कमजोर कड़ी

मैक्सिको और फिलीपींस में अपनी रोजी-रोटी के लिए मक्का की खेती पर आश्रित किसान अमेरिकी किसानों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि वह मैक्सिको और फिलीपींस को मक्का का निर्यात करने वाली कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

3. अनवरत डम्पिंग

डब्ल्यूटीओ में डम्पिंग की रोकथाम के लिए बाकायदा नियम बनाए गए हैं। कृषि समझौते में डम्पिंग की समस्या से निपटने के लिए उन सरकारी सब्सिडियों में कटौती का प्रावधान किया गया है जो उत्पादन और कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसके बावजूद डम्पिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके कई कारण हैं। एक तरफ तो सब्सिडियों के बारे में बनाई गई जटिल बॉक्स व्यवस्था की आड़ में विकसित देश बहुत सारी सब्सिडियों को जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ कृषि समझौते के नियम भी डम्पिंग के मूल कारणों को संबोधित नहीं कर पाते। समझौते के नियमों में अधिशेष उत्पादन और व्यावसायिक निगमों की बाजार शक्ति पर अंकुश लगाने का कोई रास्ता नहीं है।

जो देश डम्पिंग से परेशान हैं वह दोषी देशों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करना चाहते क्योंकि इस मुकदमेबाजी के लिए बेहिसाब समय और पैसे की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई देश डम्प किए जा रहे उत्पादों पर आयात शुल्क वसूलना चाहे तो इसके लिए उस देश में घरेलू डम्पिंगरोधी कानून होना चाहिए। किंतु बहुत सारे विकासशील देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पास डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटारा व्यवस्था में अपील करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता मगर यह न्यायालय छोटे से मुद्दे पर फौसला देने में भी चार-चार साल गुजार देता है। समस्या तब और जटिल हो जाती है जब हम देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य अभी भी इस बात को पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाए हैं कि किसानों को मिलने वाला कौन सा भुगतान डब्ल्यूटीओ नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य है और कौन सा अवैध है।

डम्पिंग का सवाल मानवाधिकारों का एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि विकासशील देशों के किसान डम्पिंग से अपनी हिफाजत करने की हालत में नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में डम्पिंग की समस्या मानवाधिकारों के मोर्चे पर गंभीर चिंताओं को जन्म दे देती है। मसलन, असंख्य छोटे किसान डम्पिंग की वजह से ही आजीविका के साधनों से वंचित होते चले जाते हैं।

मानवाधिकारों का नजरिया सरकारों को उचित सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए प्रेरित करता है और उनसे ऐसी नीतियां लागू करने की अपेक्षा करता है जो गरीबों की जरूरतों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हों।¹⁷ हमारे सामने ऐसे कई मामले आ चुके हैं जब सरकारों ने इन नीतियों के क्रियान्वयन में अरुचि दिखाई

17. देखें, संयुक्त राष्ट्र, कमेटी ऑन इकॉनॉमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स, पावर्टी एण्ड दि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकॉनॉमिक, सोशल एवं कल्चरल राइट्स, ई/सी.12/2001/10, 10 मई 2001

है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि डब्ल्यूटीओ (तथा विश्व बैंक और आईएमएफ) के मंच पर उदारीकरण के बारे में व्यक्त

बॉक्स 6 : आयातित उत्पादों की मात्रा और मूल्य

1999 में एफएओ द्वारा 14 देशों में किए गए अध्ययन में दर्शाया गया है कि इन सभी देशों में खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ा है और 1995-98 के बीच उनके खाद्य आयात बिल में लगातार इजाफा हुआ है। भारत और ब्राजील में आयातित खाद्य पदार्थों की लागत दोगुना तक पहुंच चुकी है जबकि बंगलादेश, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू और थाईलैंड में आयातित खाद्य पदार्थों की लागत में 50-100 प्रतिशत तक इजाफा हो चुका है। भारत में आयातित वनस्पति तेलों की मात्रा 1990-94 के मुक. बले 1995-98 के बीच तकरीबन सात गुना बढ़ चुकी है। इसी अवधि में खजूर तेल के आयात में 646 प्रतिशत इजाफा हुआ है। जहां पहले भारत 2,49,000 टन खजूर तेल का आयात करता था वहीं बाद में यह आयात 16,09,000 टन तक जा पहुंचा। भारत में आयात होने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा भी इसी दौरान 332 गुना बढ़ गई। 1990-94 और 1995-98 के बीच ब्राजील में आयात होने वाले गेहूं के आर्टे और गेहूं की मात्रा में 43.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसी दौरान दुग्ध उत्पादों के आयात में 194.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फलस्वरूप इन उत्पादों के उपभोग में घरेलू उत्पादों का हिस्सा गिरता गया और आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

स्रोत : एफएओ, एग्रीकल्चर, ट्रेड एण्ड फूड सिस्टीम, वॉल्यूम II, रोम; एफएओ, 2001

की गई प्रतिबद्धताएं भी इन देशों को स्वायत्त राष्ट्रीय नीतिगत रणनीतियां विकसित करने से रोकती हैं। मिसाल के तौर पर, इन्हीं प्रतिबद्धताओं की वजह से कई देश सीमा शुल्क बढ़ाने या आयात कोटा निर्धारित करने का फैसला नहीं ले पाते।

4. विकासशील देशों को असमान समीकरणों में फंसा देता है

अस्सी के दशक से ही विश्व बैंक और आईएमएफ के ढांचागत समायोजन कार्यक्रम विकासशील देशों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह अपनी ज्यादातर व्यापार संबंधी रुकावटें हटा लें या उनमें भारी कटौती करें। आज की स्थिति इन्हीं दबावों का

बॉक्स 7 : आईएमएफ और विश्व बैंक के कार्यक्रमों से मानवाधिकारों के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार शाखा की राय

"...अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्देशानुसार मिस्र सरकार द्वारा लागू किए गए ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों और आर्थिक उदारीकरण नीतियों के कुछ पहलुओं से मानवाधिकार संधि के प्रावधानों के क्रियान्वयन में भारी समस्याएं पैदा हुई हैं, खासतौर से मिस्री समाज के सबसे कमजोर तबकों के लिए किए गए प्रावधान पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गए हैं।"

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समिति, कन्वल्डिंग ऑब्जर्वेशन : इजिप्ट, ई/सी.12/1/एड.44, 2000

परिणाम है। आज बहुत सारे विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सीमा संरक्षण प्रावधान बहुत कमजोर हो चुके हैं, घरेलू मूल्य नियंत्रण की संभावना बहुत कम रह गई है और अपने सीमित संसाधनों के कारण सब्सिडियां उपलब्ध कराने की संभावना दिखाई नहीं देती। इसके दूसरे छोर पर विकसित देश हैं जो विश्व बैंक और आईएमएफ के उदारीकरण कार्यक्रमों के दबाव में व्यापार संबंधी बाधाओं में कमी करने या उन्हें खत्म करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इन देशों के पास अपने किसानों को सहायता देने के लिए पैसे की भी कमी नहीं है।

इस असंतुलन को दूर करने की बजाय डब्ल्यूटीओ के नियमों ने सारे देशों को मौजूदा पक्षपातपूर्ण व्यवस्था का एक यथास्थितिवादी हिस्सा बना दिया है। इस व्यवस्था में बहुत सारे विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अंकुश लगाने वाले कोई प्रावधान नहीं हैं। उनके पास अपने कृषि क्षेत्र की हिफाजत के लिए पुरानी व्यापार नीतियों को बहाल करने का जरिया भी नहीं बचा है।

मानवाधिकारियों की नजर से देखा जाए तो यह एक समस्याप्रद स्थिति है। इसमें विकासशील देशों को नीतियों के स्तर पर उतनी गुंजाइश नहीं मिल पाती जितनी अपने लोगों की हिफाजत के लिए जरूरी नीतियों के हिसाब से अपेक्षित होती है। मिसाल के तौर पर,

न तो वह आयात प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकते हैं, न ही उत्पादों की डम्पिंग को रोक सकते हैं और न ही घरेलू मूल्य नियंत्रण के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। यह स्थिति मानवाधिकारों के क्रियान्वयन और सुरक्षा के मामले में विकासशील देशों की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है।

मानवाधिकारों को साकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्तर पर विभिन्न देशों के दायित्व का आशय यह है कि संपन्न देश इस बात का खयाल रखें कि उनके अधिकार क्षेत्र में चलने वाली गतिविधियां अन्य देशों द्वारा मानवाधिकारों के क्रियान्वयन और सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों के रास्ते में बाधा न बन सकें।

इसी दायित्व का दूसरा पहलू यह है कि संपन्न और विकसित देश न केवल आईएमएफ एवं विश्व बैंक जैसे संस्थानों के सदस्य है बल्कि वह इन संस्थानों की नीतियों पर गहरा प्रभाव रखते हैं। इन देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईएमएफ और विश्व बैंक की नीतियां मानवाधिकारों के क्षेत्र में संबंधित देशों की प्रतिबद्धता और क्षमता को ठेस न पहुंचाएं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निगरानी शाखाओं ने इस बात को कई मौकों पर रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए, 2000 में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समिति ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि "इटली की सरकार को आईएमएफ तथा विश्व बैंक का सदस्य होने के नाते ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनके जरिए इन संस्थानों की नीतियां और फैसले संधि पर हस्ताक्षर करने वाली सरकारों के दायित्वों, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं सहयोग से संबंधित दायित्वों {...}, के अनुरूप हों।"¹⁸

और अंत में, यह दलील देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अपने भी कुछ दायित्व होते हैं। इसका

18. संयुक्त राष्ट्र, कमेटी ऑन इकॉनॉमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स, कनक्लूडिंग ऑब्ज़र्वेंसंस : इटली, ई/सी.12/1/एड.43, 2000.

आशय यही है कि आईएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ को दुनिया भर में उदारीकरण के इस गैर-बराबरी भरे और बेतुके ढर्रे को बनाए रखने की जिम्मेदारी ढोने के लिए भी तैयार रहना होगा।

VI. निष्पक्ष कृषि व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ सरल कदम

1. डम्पिंग को रोकने के लिए कड़े और सरल कानूनों को समर्थन दें।

डब्ल्यूटीओ को चाहिए कि डम्पिंग की परिभाषा को और सुधारा जाए जिससे ऐसे सभी उत्पादों को डम्प किया गया उत्पाद माना जा सके जिन्हें उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचा जा रहा है। आयातक देशों के पास भी इस आशय की क्षमता होनी चाहिए कि अगर निर्यातक देश उत्पादन लागत से कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचता है तो उस पर फौरन काउंटरवेलिंग और डम्पिंगरोधी शुल्क थोप सके।

कृषि नीति पर सक्रिय संगठनों की मांग है कि ओईसीडी देशों की पूरी उत्पादन लागत को हर साल प्रकाशित किया जाए। इन संगठनों का आग्रह है कि सभी सरकारें डम्पिंग के स्तर को मापने के लिए मिलकर एक ज्यादा सघन और पारदर्शी पद्धति विकसित करें और संबंधित आंकड़ों को समयबद्ध ढंग से सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध कराएं। मानवाधिकारों के हिमायती सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित दायित्वों, खासतौर से नीति निर्धारण में सहभागिता के बारे में सरकारों के दायित्व का आह्वान करते हुए इस दिशा में की जा रही कोशिशों में मदद दे सकते हैं। इस प्रसंग में मानवाधिकार समर्थक उन

तर्कों को भी सामने ला सकते हैं जो डम्पिंग के खिलाफ एक माहौल बनाने में मदद देते हैं।

2. गैर-व्यापार चिंताओं को ध्यान में रखें और सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल करें

कृषि व्यापार नीति में गैर-व्यापार चिंताओं का समावेश डब्ल्यूटीओ के अर्थकेंद्रित नजरिये को बदल कर उसमें सामाजिक, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक चिंताओं की गुंजाइश पैदा कर सकता है। जनकेंद्रित नजरिये के आधार पर शक्तिशाली हितों की हिफाजत करने वाली और आजीविका व मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने वाली गैर-व्यापारिक चिंताओं के बीच फर्क करने में मदद मिल सकती है।

कुछ देशों ने कृषि वार्ताओं में गैर-व्यापार चिंताओं के समावेश का प्रयास किया है। जापान, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे औद्योगिक देशों ने आग्रह किया है कि घरेलू कृषि क्षेत्र के संरक्षण की व्यवस्था को समाप्त न किया जाए क्योंकि यह एक 'बहुपयोगी' क्षेत्र है। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र केवल खाद्य सुरक्षा ही उपलब्ध नहीं कराता बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय भूमिका भी अदा करता है।

“एलायंस फॉर स्पेशल प्रोडक्ट्स (एसपी) एण्ड स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म (एसएसएम)” यानी जी-33 के रूप में संगठित विकासशील देश मांग कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ में विशेष उत्पादों (एसपी) और एसएसएम को मान्यता दी जाए। यदि डब्ल्यूटीओ में एसएसएम प्रावधानों को मान्यता दी जाती है तो विकासशील देशों को आयात में अचानक होने वाले इजाफे के खिलाफ अपने घरेलू बाजारों की रक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में विकासशील देश विशेष उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती की

प्रतिबद्धता से भी मुक्त हो जाएंगे। हालांकि अभी विशेष उत्पादों को परिभाषित नहीं किया गया है मगर इस बात की संभावना दिखाई देती है कि उन्हें खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास संबंधी आवश्यकताओं के पैमाने पर ही परिभाषित किया जाएगा। यह तो अब तक साफ नहीं है कि एसएसएम और एसपी की अंतिम रूपरेखा क्या होगी मगर अपेक्षा की जा सकती है कि ये ऐसे सकारात्मक और स्वागतयोग्य प्रावधान होंगे जिनके जरिए ज्यादा निष्पक्ष और जनकेंद्रित कृषि नियमों की स्थापना की जा सकती है।

जेंडर समूह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एसपी और एसएसएम की परिभाषाओं में लैंगिक चिंताओं का समावेश कैसे किया जाए। इस बारे में मानवाधिकारों के समर्थक भी अपना योगदान दे सकते हैं।¹⁹

3. विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार संबंधी प्रावधानों को और सार्थक बनाया जाए

विकासशील देश लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मौजूदा विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार (एसडीटी) व्यवस्था उनकी नुकसानदेह स्थिति का पर्याप्त रूप से निराकरण नहीं कर पाती। इसी आधार पर उन्होंने एसडीटी व्यवस्था में सुधार के लिए डब्ल्यूटीओ के समक्ष 88 प्रस्ताव पेश किए हैं जिन पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। मानवाधिकारों के समर्थक इन कोशिशों में मदद दे सकते हैं। वह अपने व्यापार मंत्रालय या जिनेवा स्थित व्यापार वार्ताकारों पर इस बात के लिए दबाव डाल सकते हैं कि जुलाई 2005 की समयसीमा का उल्लंघन न हो पाए।

19. इस अनुसंधान के विवरण के लिए देखें, इंटरनेशनल जेंडर एण्ड ट्रेड नेटवर्क की वेबसाइट www.igtm.org/Research/genderttrade.htm. एसपी और एसएसएम को एक जनकेंद्रित नजरिये से कैसे परिभाषित किया जा सकता है, इस बारे में दूसरे दस्तावेजों के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की वेबसाइट देखें www.agtradepolicy.org.

4. व्यवहार प्रभाव आकलन

कृषि समझौते की धारा 30 में प्रावधान किया गया है कि वर्तमान कृषि वार्ताओं से पहले इस बात की अच्छी तरह समीक्षा कर ली जाए कि कृषि समझौते के क्रियान्वयन से सन् 2000 के आखिर तक क्या नतीजे सामने आए थे। कृषि समझौते के तहत सब्सिडी कटौती प्रतिबद्धताओं के प्रभावों का आकलन करना इस समीक्षा का एक केंद्रीय तत्व होगा। इस समीक्षा में खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण की रक्षा समेत गैर-व्यापार चिंताओं से जुड़े अनुभवों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक "विश्लेषण एवं सूचना विनिमय" प्रक्रिया पूरी हो चुकी है मगर उसका दायरा काफी संकुचित था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह विश्लेषण धारा 20 के अंतर्गत अपेक्षित समीक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता।

मानवाधिकार कानूनों में सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने-अपने देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे कि उनकी नीतियां मानवाधिकारों को साकार करने में मददगार हों। डब्ल्यूटीओ के तहत उदारीकरण को जिस तरह परिभाषित और क्रियान्वित किया जा रहा है उससे मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी नई वार्ता से मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर ली जाए। राष्ट्रीय सरकारों के साथ डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और विश्व बैंक को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई वार्ताओं के फलस्वरूप किसी समझौते पर पहुंचने से पहले इस तरह के आकलन को पूरी गंभीरता से लिया जाए।

एओए सहित डब्ल्यूटीओ के सभी समझौते मुख्य रूप से विभिन्न देशों के बीच निहित संबंधों को निर्धारित करते हैं इसलिए कृषि व्यापार उदारीकरण से मानवाधिकारों पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन

खासा महत्व रखता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किसी देश के भीतर संसाधनों का आबंटन किस तरह किया जा रहा है। मानवाधिकारों की अवधारणा यह सुनिश्चित करने में मदद दे सकती है कि व्यापार नीति के क्षेत्र में किसी देश की प्रतिबद्धताएं देश के भीतर अलग-अलग तबकों के बीच भेदभाव का स्रोत न बनें।

5. व्यावसायिक नियंत्रण की रोकथाम

व्यापार एवं विकास संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सत्ता का बेहतर प्रबंधन चाहते हैं। दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता निजी व्यावसायिक उद्यमों के मानवाधिकार संबंधी दायित्वों पर जोर दे रहे हैं। जाहिर है कि मानवाधिकारों का फ्रेमवर्क निजी व्यावसायिक निकायों की गतिविधियों से मनुष्यों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराने में एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है।

6. सरकारों के आर्थिक एवं मानवाधिकार संबंधी

उत्तरदायित्वों के बीच सामंजस्य

जब विभिन्न देश डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत या आईएमएफ अथवा विश्व बैंक के साथ वार्ताओं में जाते हैं उस समय उनके मानवाधिकार संबंधी दायित्वों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि अब डब्ल्यूटीओ भी नीतिगत सामंजस्य के सवाल पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा है मगर यह चिंता अभी भी विभिन्न देशों की व्यापारिक, वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों के बीच सामंजस्य पर ही ज्यादा केंद्रित रही है। सामंजस्य की इस अवधारणा को और विस्तार दिया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न देश ऐसे व्यापारिक अथवा आर्थिक समझौतों का हिस्सा नहीं होंगे जो उनकी सामाजिक नीतियों को कमजोर

बनाएं या उनके मानवाधिकार संबंधी दायित्वों को पूरा करने में बाधक बनें।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा व्यापार एवं विकास विशेषज्ञों को अपने व्यापार मंत्रियों तथा अपने देश के जिनेवा स्थित वार्ताकारों से संपर्क करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए व्यापार समझौतों में मानवाधिकार संबंधी दायित्वों का पूरा सम्मान किया जाए। मानवाधिकार कार्यकर्ता विकास के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के साथ जानकारियों के आदान-प्रदान और गतिविधियों में समन्वय के जरिए अपनी-अपनी सरकारों पर इस बात के लिए दबाव डाल सकते हैं कि उनके विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों के बीच तालमेल रहे जिससे व्यापार नियमों में आम लोगों के हितों और अधिकारों को ठेस न पहुंच सके।

VII. निष्कर्ष

दुनिया के आधे से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। सही मायने में विकास को प्रोत्साहित करने और मानवाधिकारों की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकारों को ऐसी ही नीतियां लागू करनी चाहिए जिनमें ग्रामीण समुदायों की जरूरतों और क्षमताओं पर स्पष्ट जोर दिया गया हो। कहने का आशय यह है कि ग्रामीण इलाकों को व्यापार में विस्तार के दायरे से बाहर न रखा जाए क्योंकि व्यापार भी विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। हां, इतना जरूर है कि व्यापार नीतियों को स्पष्ट रूप से जनकेंद्रित दिशा दी जानी चाहिए। सिर्फ व्यापार अपने आप में मानवाधिकारों को साकार करने या स्थायी आर्थिक अथवा सामाजिक विकास का वाहक नहीं बन सकता।

आज की स्थिति में डब्ल्यूटीओ का कृषि समझौता खेती के बारे में एक ऐसा फ्रेमवर्क मुहैया कराने में विफल हो चुका है जो मानवा. धिकारों के प्रति सम्मान के नजरिए पर आधारित हो। इसकी

बजाय उसने दुनिया भर के कृषि क्षेत्र के उदारीकरण पर जोर दिया गया है। डब्ल्यूटीओ ने ऐसे समझौतों को जन्म दिया है जो गरीब किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन समझौतों के कारण दुनिया भर के गरीब किसान व्यापारियों और कृषि व्यावसायिक निकायों की दया पर आश्रित हो गए हैं।

व्यापार एवं विकास के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों और किसान संगठनों ने एक ज्यादा समतापरक वैश्विक खाद्य व्यवस्था के अपने नजरिये की तलाश शुरू कर दी है। यह एक ऐसा नजरिया होगा जिसमें मानवाधिकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, खाद्य सुरक्षा, आजीविका और स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। मानवाधिकार संगठनों को भी इस प्रक्रिया में अपना योगदान देना चाहिए। यह पर्चा कृषि व्यापार व्यवस्था से जुड़ी मुख्य समस्याओं को समझने और उसमें सुधार की दिशा में सिर्फ एक शुरुआती सुझाव है।

कुछ संपर्क और सूचना स्रोत

ActionAid <www.actionaid.org.uk>

Agribusiness Accountability Initiative

www.agribusinessaccountability.org

Bilaterals.org <www.bilaterals.org>

Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD) www.cafod.org.uk

Christian Aid <www.christian-aid.org.uk/indepth/trade.htm>

Food First Information Action Network <www.fian.org>

International Gender and Trade Network <www.igtn.org>

Oxfam International <www.oxfam.org>

Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) <www.seatini.org>

Third World Network (TWN) <www.twinside.org.sg>

UN Food and Agriculture Organization <www.fao.org>

UN Special Rapporteur on the Right to Food, Research Unit on the Right to Food <www.righttofood.org>

Via Campesina <www.viacampesina.org>

World Trade Organization <www.wto.org>

WWF International <www.panda.org/trade>

कुछ महत्वपूर्ण सामग्री

एक्शनएड, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चरल, ब्रीफिंग पेपर, 2003
<www.actionaid.org.uk/index.asp?page_id=794>

एक्शनएड, पावर हंगरी : सिकस रीजन्स टू रेग्युलेट ग्लोबल फूड कॉर्पोरेशंस,
2005. <www.actionaid.org.uk/wps/content/documents/power_hungry.pdf>

एफएओ, एग्रीकल्चर, ट्रेड एण्ड फूड सिक्योरिटी : इश्यूज एण्ड ऑप्शंस इन दि
डब्ल्यूटीओ निगोशिएशंस फ्रॉम दि पर्सपेक्टिव ऑफ डिवेलपिंग कंट्रीज़, खण्ड 1,
1999

बिपुल चैटर्जी, ट्रेड लिब्रलाइजेशन एण्ड फूड सिक्योरिटी, 1998 www.cutsinternational.org/1998-6.htm xxx to be confirmed

फिएन एवं वाया कॅपेसिना, वायलेशंस ऑफ पीजेंट्स ह्यूमन राइट्स : ए रिपोर्ट
ऑन केसेज़ एण्ड पैटर्न्स ऑफ वायलेशन, 2004

हीरामणि घिमिरे एवं रत्नाकर अधिकारी, एग्रीकल्चरल ट्रेड लिब्रलाइजेशन एण्ड
इट्स इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया, एसएडडब्ल्यूटीईई एवं सीयूटीएस-सीआईटीईई,
2001.

इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एण्ड ट्रेड पॉलिसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट
ऑन एग्रीकल्चर बेसिक्स, डब्ल्यूटीओ कैंकून सीरिज पेपर संख्या 2, 2003.

सोफिया मर्फी, मैनेजिंग दि इनविजिबल हैंड – मार्केट्स, फार्मर्स एण्ड इंटरनेशनल
ट्रेड, इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एण्ड ट्रेड पॉलिसी, 2002 <www.tradeobservatory.org/library.cfm?RefID=25497>

जेम्स आर. सिम्प्सन एवं थॉमस जे. शुएनबॉम, 'नॉन-ट्रेड कन्सर्न्स इन डब्ल्यूटीओ
ट्रेड निगोशिएशंस : लीगल एण्ड लेजिटिमेट रीजन्स फॉर रिवाइजिंग दि "बॉक्स"
सिस्टम', इंटरनेशनल जरनल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सज़, गवर्नेस एण्ड
इकोलॉजी, खण्ड 2, संख्या3/4, 2003.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, रिपोर्ट ऑफ दि यूएन स्पेशल रेपर्टियर ऑन दि
राइट टू फूड टू दि कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, 2004
<www.ohchr.org/english/issues/food/annual.htm>

बिल वर्ली, फूड, इंक. – कॉरपोरेट कंसन्ट्रेशन फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर, यूके फूड
युप, 2003. <www.ukfg.org.uk>

थ्रेड **THREAD** (Trade Human rights and the economy : action updates) सीरीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान और जनकारवाइयों का ब्यौरा देने वाली शृंखला है। इसे मानवाधिकारों के प्रति जागरूक और सक्रिय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। थ्रेड सीरीज के प्रकाशन मानवाधिकार संगठनों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारीयां मुहैया कराने के लिए तैयार किए गए हैं कि व्यापार और व्यापार नियमों में मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और सुरक्षा के लिए वह क्या कर सकते हैं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि समझौते को मानवाधिकारों के नजरिये से समझने के लिए यह थ्रेड सीरीज का पहला प्रकाशन है। एक परिचयात्मक दस्तावेज के रूप में यह पर्चा वैश्विक कृषि व्यापार व्यवस्था के नियमों और प्रमुख विशिष्टताओं पर केंद्रित है। इस शृंखला के भावी प्रकाशनों में कृषि व्यापार वार्ताओं से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

इंसाफ (इंडियन सोशल एक्शन फोरम) की स्थापना 1993 में उस समय की गई थी जब देश भर के सामाजिक संगठन और जनांदोलन वैश्वीकरण एवं धार्मिक कठमुल्लेपन के बदलते हालात में चीजों को नए सिरे से सूत्रबद्ध करने की कोशिश कर रहे थे।

समय बीतने के साथ यह संगठन एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच बन चुका है। इस मंच पर आज 515 सामाजिक संगठन, जनांदोलन और प्रगतिशील बुद्धिजीवी एकजुट होकर वैश्वीकरण के खिलाफ, सांप्रदायिकता के जवाब में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं।

इंसाफ का विश्वास है कि आज देश की संप्रभुता और अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है और इस बारे में हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। इंसाफ के मंच पर ऐसे सभी संगठनों और व्यक्तियों का स्वागत है जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, शांति, न्याय – सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक – मानवीय प्रतिष्ठा, समानता और मानवाधिकार जैसे मूल्यों एवं सिद्धांतों की रक्षा व प्रोत्साहन के लिए आगे आकर काम करना चाहते हैं और इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए समाज के आमूल सामाजिक कार्यांतरण के सपने से प्रेरित होते हैं।

इंसाफ का दायरा देश के 15 राज्यों तक फैल चुका है। संगठन का पूरा काम विभिन्न राज्य इकाइयों के जरिए चलाया जाता है। इंसाफ के कार्यक्रमों में अभियानों, विरोध कार्यक्रमों और एकजुटता कार्रवाइयों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। अन्य धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक ताकतों के साथ मिलकर हमारे सदस्य संगठन खुद अपने बूते पर ये कार्रवाइयां चलाते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान इंसाफ ने गुजरात जनसंहार, दिनोंदिन बढ़ते फासीवादी खतरे, पानी की सियासत, और पोटा व सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम जैसे दानवी कानूनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर में लाने, देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राजनीति के सुदृढीकरण, लैंगिक संवेदनशीलता, विकास और सामाजिक न्याय की वैकल्पिक नजर के साथ काम करने वाले लोगों के साथ एकजुटता पर विशेष जोर दिया है।



इंडियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ)

ए 124/6, पहली मंजिल, कटवरिया सराय
नई दिल्ली-110016

टेलीफोन : +91-11-55663958 टेलीफैक्स : +91-11-26517814

ई-मेल : insaf@vsnl.com

वेबसाइट : <http://www.insafindia.org>